लघुयात्रा भत्ता बिल

नाम		बिल का मद
पद		
कार्यालय		

दिनांक	स्थानों का विवरण जिनके मध्य स्थानीय लघु यात्रा की गई	यात्रा का प्रयोजन	स्वयं का वाहन का प्रकार	लगभग दूरी किमी में	दर राशि प्रति किमी	राशि
1	2	3	4	5	6	7

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने.....................................द्वारा.............................. किमी यात्रा जैसा कि उल्लिखित हैं, ड्यूटी स्थान से कार्यालय के कार्य से वास्तव में की है।

कार्मिक के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

श्रेणी	पे मैट्रिक्स में आरहित मूलवेतन	रेल से यात्रा	सड़क से यात्रा	सड़क यात्रा भत्ता (ड्यूटी स्थान/आवास से रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, हवाई अड्डा तक या वापस लौटने हेतु	समस्त राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की राजधानियों में दैनिक भत्ता	कॉलम 6 के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर दैनिक भत्ता	भोजन एवं आवास (Boarding & lodging)		स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	
							समस्त राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की राजधानियाँ	कॉलम सं 9 के अतिरिक्त अन्य समस्त स्थानों पर	एक मुश्त अनुदान	लगे[illegible] प्रति किमी[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क	95000 एवं अधिक	किसी भी रेलगाड़ी/श्रेणी	किसी भी श्रेणी की बस	(i) जयपुर 150 रू. (ii) जोधपुर, उदयपुर, कोटा बीकानेर व अजमेर 100 रू. (iii) अन्य स्थान 60 रू.	800	600	3000	2000	10000	30
ख	49000 से 94999	ए.सी. थ्री टायर एवं चेयर कार (कार्यकारी श्रेणी को छोड़कर)			700	500	2500	1800	8000	30
ग	39000 से 48999 तक	ए.सी. चेयर कार नॉन ए.सी. स्लीपर द्वितीय श्रेणी	साधारण एक्सप्रेस या मेल श्रेणी		600	400	2000	1500	6000	18
घ	26000 से 38999 तक	स्लीपर द्वितीय श्रेणी			550	350	1500	1000	5000	14
ङ	0 से 25999 तक	स्लीपर द्वितीय श्रेणी			350	250	1000	700	3500	12

1 भारत में सभी राज्यों की राजधानी दिल्ली सहित - टेक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, स्कूटर, बस, रेल, मैट्रो ट्रेन के किराये के लिए वास्तव में सं[illegible] प्रभार।

2 दैनिक यात्रा मुख्यालय से 6 घंटे अनुपस्थिति के लिए शून्य, 6 से 12 घंटे के लिए 50 प्रतिशत तथा 12 घंटे से अधिक के लिए पूर्ण दैनिक भ[illegible] देय होगा।

3 किसी रेल में ए.सी. थ्री टायर नहीं होने पर ख श्रेणी के कर्मचारी ए.सी. टू टायर में यात्रा कर सकेंगे।

4 वायुयान में 95000/- रू. या अधिक प्रतिमाह वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी अधिकारी तथा एडवोकेट जनरल अधिकृत हैं। 225000/- रू. अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी एक्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा हेतु अधिकृत हैं।

5 भारत में दिल्ली सहित सभी राज्यों की राजधानी (जयपुर को छोड़कर) और वायु सेवा से जुड़े स्थानों में कार्यालय/निवास स्थान से हवाई अड्डा/रे[illegible] स्टेशन/बस स्टेण्ड तक तथा वापस लौटने हेतु संदत्त वास्तविक किराया मील भत्ते के रूप में देय होगा।

(प. 6(7) वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.12.2017 एवं प. 6(3) वित्त/नियम/2012 पार्ट दिनांक 6.12.201[illegible]

लघु यात्रा

भारत के सभी राज्यों की राजधानी दिल्ली सहित (जयपुर को छोड़कर) में ख.ग.घ. श्रेणी के राज्य कर्मचारी अपने निवास से कार्यालयों के बीच राजकार्य के सम्बन्ध में लघु यात्रायें करता है तो ई-रिक्शा, स्कूटर, रेल, ट्राम, बस मैट्रो ट्रेन का वास्तविक किराया तथा 'क' श्रेणी के सरकारी कर्मचारी को आटो रिक्शा, ई-रिक्शा, स्कूटर, रेल, बस के अलावा टैक्सी का वास्तविक किराया देय होगा।

प्रारूप **लघुयात्राओं का विवरण**

तारीख	उन स्थानों का संक्षिप्त विवरण जिनके बीच टैक्सी/वाहन का प्रयोग किया गया	यात्रा का प्रयोजन	वाहन का प्रकार	लगभग दूरी कि.मी. में	भुगतान किया गया वास्तविक भाड़ा
1	2	3	4	5	6

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने .... द्वारा ..... कि.मी. यात्रा जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, ठहरने के स्थान राजकीय प्रयोजनार्थ वास्तव में की है और भाड़ा/किराये के...... रुपये का भुगतान किया है।

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर पद ना[illegible]

पदस्थापन स्थान पर स्वयं के वाहन से लघु यात्रा : प्र[illegible] 'क' एवं 'ख' श्रेणी के अधिकारी स्वयं की कार/मोटरसाईकिल स्कूटर से राजकीय कार्य से स्थानीय लघु यात्रा करते हैं, तो निम्नांकित वर्णित सीमा तक व्यय के लिए अनुज्ञेय होंगे, लेकि[illegible] उन्हें नीचे वर्णित प्रोफॉर्मा में लघु यात्रा विवरण तथा प्रमाण प[illegible] अंकित करना होगा।

श्रेणी	यात्रा का वाहन	दर
'क' एवं 'ख'	1. स्वयं की कार	9.00 रु. प्रति कि.मी[illegible] अधिकतम 600 रु. प्र.मा.
	2. स्वयं का स्कूटर/मोटरसाईकिल	3.00 रु. प्रति कि.मी. अधिकतम 300 रु. प्र.मा.

प्रोफार्मा पदस्थापन स्थल पर लघुयात्रा का विवरण

तारीख	स्थानों का विवरण जिनके मध्य स्थानीय लघु यात्रा की गई	यात्रा का प्रयोजन	स्वयं का वाहन का प्रकार	लगभग दूरी कि.मी. में	दर राशि प्रति किमी.	राशि
1	2	3	4	5	6	7

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने .... द्वारा .... कि.मी. यात्रा, जैसा कि उल्लिखित है, ड्यूटी स्थान से कार्यालय के कार्य से वास्तव में की है।

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर (पदनाम)

नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रमाणित

पदनाम एवं मोहर

नोट – विभागाध्यक्ष एवं लेवल 19 या अधिक में वेतन आहरित कर रहे अधिकारी उनके द्वारा की गई स्थानीय लघु यात्राओं को स्वयं प्रमाणित कर सकेंगे।

यात्रा भत्ता नियम के महत्वपूर्ण प्रावधान

1. दिन से आशय : कलैन्डर दिन जो आधी रात से शुरू और समाप्त होता है किन्तु मुख्यालय से ऐसी अनुपस्थिति जो 24 घण्टे से अधिक न हो, सभी प्रयोजनों के लिये एक दिन गिनी जायेगी चाहे अनुपस्थिति का प्रारम्भ या अन्त किसी समय हो।

(नियम 3(3))

2. परिवार से आशय : सरकारी कर्मचारी की पत्नी/पति जैसी भी स्थिति हो वैध एवं सौतेली संतान, मान्यता प्राप्त दत्तक सन्तान जिसमें विधवा पुत्री भी शामिल है, जो उसके साथ रहते हों और उस पर पूर्णतया आश्रित हो।

स्थानान्तरण यात्रा भत्ते के प्रयोजनार्थ परिवार शब्द में माता-पिता, बहिनें व अवयस्क भाई जो उसके साथ रहते हो तथा उस पर पूर्ण आश्रित हो।

टिप्पणी : पूर्णतया आश्रित वह है, जिसकी सभी श्रोतों से आय 2000/- प्रतिमाह से अधिक न हो तथा जो सरकारी कर्मचारी के साथ निवास करते हो।

(नियम 3(4) आ.दि. 13.3.2008)

नोट : (1) सरकारी कर्मचारी की रोजगारयुक्त सन्तान, किसी भी उम्र की विवाहित सन्तान आश्रित नहीं माने जायेंगे।

(2) 1 जून, 2002 या इसके पश्चात यदि किसी सरकारी कर्मचारी को दो से अधिक सन्तान होती है तो उन्हें केवल दो सन्तान के लिए ही स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता देय होगा।

आ.दि. 13.3.2008

3. दैनिक भत्ते की अनुज्ञेयता के लिये शर्तें :

(1) ड्यूटी पर मुख्यालय से अनुपस्थिति के दौरान की अवधि के सिवाय दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

(2) दैनिक भत्ता मुख्यालय छोड़ने से प्रारम्भ तथा मुख्यालय वापस लौटने से अनुपस्थिति के लिये देय होगा। इसे निम्नानुसार

Scanned by CamScanner